गिरधारीलाल — धड़सीराम प्र.क्र. 41/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
..7.24	पत्रावली पेश। वकील मुकदमा उपस्थित। बास्ते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो।	(हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अ... पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 2.8.24 को पेश हो।	(हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2.8.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 21.8.24 को पेश हो।	(हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
21.8.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.9.24 को पेश हो।	
20.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.9.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
25/9/24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 36/2023

1 गि्रधारीलाल उम्र 67 साल पुत्र गोपीराम
2 तुलछाराम उम्र 63 साल पुत्र गोपीराम
3 नेमीचन्द उम्र 61 साल पुत्र गोपीराम
4 भींवाराम उम्र 58 साल पुत्र गोपीराम
5 हेमाराम उम्र 65 साल पुत्र गोपीराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सवाईपुरा हाल ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5

बनाम

1 घड़सीराम उम्र 35 साल पुत्र कजोड़
2 श्योपाल उम्र 28 साल पुत्र कजोड़
3 मौसमी देवी उम्र 32 साल पत्नी घड़सीराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/वादीगण

4 राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजीयक पंजियन एवं मुद्रांक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोछोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 24.01.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) दांतारामगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा आरएएस प्रकरण संख्या 85/2001 दावा बउनवानी घड़सीराम आदि बनाम गिरधारीलाल आदि दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

अपील संख्या 41/2023

1 गिरधारीलाल उम्र 67 साल पुत्र गोपीराम

2 तुलछाराम उम्र 63 साल पुत्र गोपीराम

3 नेमीचन्द उम्र 61 साल पुत्र गोपीराम

4 भींवाराम उम्र 58 साल पुत्र गोपीराम

5 हेमाराम उम्र 65 साल पुत्र गोपीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सवाईपुरा हाल ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 घड़सीराम उम्र 35 साल पुत्र कजोड़

2 श्योपाल उम्र 28 साल पुत्र कजोड़

3 मौसमी देवी उम्र 32 साल पत्नी घड़सीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट/वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजीयक पंजियन एवं मुद्रांक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोछोद तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 24.01.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 85/2020 बउनवानी घड़सीराम आदि बनाम गिरधारीलाल आदि प्रतिदावा(काउण्टर वाद)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1898, 1899, 1900, 2384 से 2394, 2413 से 2419 कुल किता 21 कुल रकबा 3.85 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 653 रकबा 27 बीघा 15 बिश्वा एवं पुराना खसरा नम्बर 652 रकबा 3 बीघा 5 बिश्वा अवस्थित है जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। जिसके नोटिस अपीलान्टस को प्राप्त होने पर अपीलान्टस जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाबदावा तथा प्रतिदावा प्रस्तुत किया। परन्तु विचारण न्यायालय ने वाद पत्र एवं काउण्टर वाद पत्र को विवाधक कायम नहीं कर, गुणावगुण पर निर्णित नहीं करके बिना साक्ष्य सबूत के ही दावा व प्रतिदावा को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया जिसमें उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने अपीलान्टस की बिना जानकारी के सहमति प्रदान कर दी जबकि अपीलान्टस प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करवाना चाहते थे क्योंकि उक्त कृषि भूमि खरीदशुदा कृषि भूमि थी जिसके विक्रय पत्रों के समय ही भूमि को विभाजित कर कब्जा संभला दिया था परन्तु विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में शर्ते अंकित कर डिकी पारित की है। चुनौतीग्रस्त डिक्री से अपीलान्टस के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ा है। इससे व्यथित होकर वाद एवं काउण्टर वाद के निर्णय के विरूद्ध पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों के पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाने की सहमति प्रदान नहीं की थी ना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अधिवक्ता को सहमति प्रदान करने के लिए कहा था परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना पक्षकारान की उपस्थिति व बिना सहमति के ही विधिक प्रकिया का अनुसरण किये बिना चुनौतीग्रस्त डिक्री एंव निर्णय पारित कर दिया। वाद पत्र अथवा काउण्टर वाद पत्र का निर्णित करने की विधिक प्रकिया के तहत जवाबदावा एवं काउण्टर दावा का जवाब आने के पश्चात विवाधक कायम किया जाना एवं विवाधकों पर दोनों पक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना एवं उसके पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनकर वाद पत्र एवं काउण्टर वाद पत्र को तनकीवाईज निर्णित किया जाने का आज्ञापक कानूनी प्रावधान है परन्तु विचारण न्यायालय ने ना तो विवाधक कायम किये, ना ही उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध की एवं सरसरी तौर पर ही वाद पत्र एवं काउण्टर वाद पत्र को डिक्री कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित नहीं हो तब तक दस्तावेजात को पढ़ा नहीं जा सकता, इस परिप्रेक्ष्य में भी चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय का अवलोकन किया जावे तो काउण्टर वाद व वाद पत्र की डिक्री एवं निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने काउण्टर वाद का जवाब प्रस्तुत किया उसमें काउण्टर वाद के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया था जिस कारण आदेश 14 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इन तथ्यों के संबंध में विवाधक कायम किया जाना था परन्तु विचारण न्यायालय ने विवाधक कायम नहीं करके कानूनी भूल की है। चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से ही प्राथमिक डिकी में शर्त संख्या 1 ता 3 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाने का तहसीलदार को निर्देश दिया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन के संबंध में, इस प्रकार की शर्ते लगाया जाना, राजस्थान टिनेन्सी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 के प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन है अर्थात् धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों की प्राथमिक डिक्री को प्रभावी करने के लिए नियम 20 से 21 के तहत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाने का कानूनी प्रावधान है परन्तु विचारण न्यायालय ने नियम 20 व 21 के तहत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार को विभाजन हेतु निर्देश नहीं देकर स्वयं के द्वारा बनायी गयी शर्तो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है जिसका विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री का जो आधार लिया वह अपीलान्टस एवं रेस्पोडेनटस संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्तागण की सहमति का आधार लिया है जबकि अपीलान्टस ने इस प्रकार की कोई सहमति प्रदान नहीं की थी ना ही अधिवक्ता को सहमति प्रदान करने का अधिकार रहता है इसके अलावा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो तो पक्षकारान द्वारा लिखित में राजीनामा/सहमति प्रदान करने व उक्त सहमति/राजीनामा पर पक्षकारान के हस्ताक्षर होकर अधिवक्तागण द्वारा पहचान की जावे तो ही आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत उसे सहमति मान्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन अस्वीकार कर काउंटर वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 24.01.2024 को आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति प्रदान की है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में होना है। अपीलांट के पास आपत्ति का अधिकार सुरक्षित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस ने प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाने की सहमति प्रदान नहीं की थी ना ही अधिवक्ता को सहमति प्रदान करने के लिए कहा था परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना पक्षकारान की उपस्थिति व बिना सहमति के ही विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। वाद पत्र अथवा काउण्टर वाद पत्र का निर्णित करने की विधिक प्रक्रिया के तहत जवाबदावा एवं काउण्टर दावा का जवाब आने के पश्चात विवाधक कायम किया जाना एवं विवाधकों पर दोनों पक्षो की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना एवं उसके पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनकर वाद पत्र एवं काउण्टर वाद पत्र को तनकीवाईज निर्णित किया जाने का आज्ञापक कानूनी प्रावधान है परन्तु विचारण न्यायालय ने ना तो विवाधक कायम किये, ना ही उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध की एवं सरसरी तौर पर ही वाद पत्र एवं काउण्टर वाद पत्र को डिक्री कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित नहीं हो तब तक दस्तावेजात को पढ़ा नहीं जा सकता, इस परिप्रेक्ष्य में भी चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय का अवलोकन किया जावे तो काउण्टर वाद व वाद पत्र की डिक्री एवं निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने काउण्टर वाद का जवाब प्रस्तुत किया उसमें काउण्टर वाद के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया था जिस कारण आदेश 14 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इन तथ्यों के संबंध में विवाधक कायम किया जाना था परन्तु विचारण न्यायालय ने विवाधक कायम नहीं करके विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका...
सीकर

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद जवाब दावा व काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर, बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30. 10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर